



बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० – 42/2015-16

1. परिचयात्मक –

- (क) अंकेक्षित लेखा का नाम – अंचल कार्यालय पटना सदर।
- (ख) अंकेक्षण का लेखावधि – वर्ष 2011-12 एवं 2012-13
- (ग) प्रशासी विभाग का नाम – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
- (घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं कार्यकाल–
1. श्री संजय कुमार सिंह
जिला पदाधिकारी, दिनांक – 1.04.11 से 16.01.13
 2. डा० एन० श्रवण कुमार
जिला पदाधिकारी, दिनांक– 16.1.13 से 31.3.13
- (ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल।
- (1) मो० श्री मकसूद अंसारी,
अंचल अधिकारी, दिनांक–1.4.11 से 28.6.12 तक।
 - (2) श्री अंचल कुमार राना,
अंचल अधिकारी, दिनांक–28.6.12 से 2.07.12 तक।
 - (3) श्री महेन्द्र प्रसाद गुप्ता,
अंचल अधिकारी, दिनांक–3.07.12 से 31.03.13 तक।
 - (1) श्री राजीव रंजन नाग,
नाजिर, दिनांक–1.4.11 से 12.10.11 तक।
 - (2) श्री श्रवण कुमार,
नाजिर, दिनांक–13.10.11 से 31.3.13 तक।
- (च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम
- (1) श्री श्रवण कुमार, नाजीर
 - (2) श्री मिथिलेश कुमार शर्मा, नाजीर।
- (छ) अंकेक्षको का नाम :-
1. मो० श्री वशीर उद्दीन, व०अं०-1
 2. विजय कान्त झा, व०अं०-2
 3. रबीन्द्र नाथ सिंह, व०अं०-2
- (ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि – 9.10.13
7.8.15 पुनः प्रारम्भण।
- (झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – 17.12.15
- (ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 42 कार्य दिवस
- (ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट (क) पर उल्लिखित है।

- (2)(i) अंकेक्षण का क्षेत्र – सामान्य
- (ii) वित्त (अं0) विभाग का आदेश सं0 एवं तिथि – 45 दि0 22.5.15 एवं ज्ञापांक-3286 दि0-15.9.60 में निहित निदेशानुसार सम्पन्न किया गया।
- (iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – भू लगान, सैरात वन्दोवस्ती पटना मार्केट एवं स्टैण्ड से प्राप्त राजस्व की वसूली/भू सीमांकन, वाद निपटारा, दाखिल खारिज, जातीय, आवासीय एवं अन्य प्रमाण पत्र तथा लैण्ड पोजेशन सर्टिफिकेट जारी करने संबंधी कार्य।
- (iv) वित्तीय श्रोत – आवंटन, भू राजस्व, सैरात, वन्दोवस्ती, पटना मार्केट एवं स्टैण्ड से वसूली (स्कूटर, साइकिल, फोर व्हीलर इत्यादि)
- (v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति – निकासी एवं जमा का शत प्रतिशत सत्यापन किया गया।
- (vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति – अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त।
- (vii) वित्त (अं0) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति – पूर्व के अंकेक्षण से संबंधित कोई भी प्रतिवेदन अप्राप्त।

(3) वित्तीय समीक्षा :-

1. आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गई है। – नहीं
2. अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया – नहीं
3. प्राप्त अनुदान राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया – नहीं।
अंकेक्षित अवधि लेखा वर्ष 2011-12 एवं 12-13 का आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट "ख" पर अंकित है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि आवंटित राशि के अर्न्तगत ही व्यय किया गया है तथा बचत राशि का प्रत्यापण ससमय किया पाया गया।
अंकेक्षित अवधि का मॉग एवं संग्रहण विवरणी परिशिष्ट "ग" पर उल्लिखित है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि राजस्व मॉग के विरुद्ध लगभग शत प्रतिशत वसूली पायी गयी जो सराहनीय है।
4. रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति – भौतिक सत्यापन किया गया – नहीं।
वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक-503 दि0-29.1.76 के अनुसार अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को संवरण शेष का भौतिक सत्यापन करना था पर नहीं कराया गया। इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आवश्यक कारवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है।
अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 7.10.13/9.10.13 को रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति-

नकद राशि	—	4,59,156.95
बैंक खाता में कुल राशि	—	80,28,108.90
अस्थायी अग्रिम की राशि	—	9,65,051.29
असमायोजित अभिश्रव	—	<u>68,47,118.78</u>
		16299435.92

बैंक का विवरण :-

1. पी० एन० वी० पूर्वी गांधी मैदान	—	7750620.10
खाता सं० — 7137		
2. " " — 2119540	—	269693.80
3. को ओपरेटिव बैंक — 810	—	<u>7795.00</u>
		80,28,108.90

उपर्युक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि दि०-7.10.13 के संवरण में नकद राशि रु० 459156.95 रखा गया है जो आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अवधि में दि०-1.4.11 का प्रारम्भण शेष, दि०-31.3.11 एवं 31.3.12 के संवरण शेष का पूर्ण विवरण निम्नवत रोकड़ पुस्त पर अंकित था।

	1.4.11	31.3.12	11.3.13
1. नकद राशि	2,04,850.08	100296.03	14122.98
2. बैंक खाता में कुल राशि	933609.90	2148019.80	1609685.90
3. अस्थायी अग्रिम की राशि	4,47,314.26	485314.26	438314.26
4. असमायोजित अभिश्रव	46,34,865.78	5651648.78	4617440.78
5. अन्य (बैंक ड्राफ्ट्स, बैंकर्स चेक इत्यादि)	X	X	X
	62,20,640.02	8385278.87	6679563.92

1.4.11 बैंक खाता में कुल राशि का विवरण —

1. पी० एन० वी० पूर्वी गांधी मैदान		
खाता सं० — 2119540	—	269693.80
2. पी० एन० वी० " "		
3041000101407137	—	504371.10
3. आई० डी० वी० आई		

	44697	—	151750.00
4.	को औपरेटिव बैंक	—	<u>7795.00</u>
			933609.90

31.3.12 बैंक खाता में कुल जमा राशि का विवरण —

1.	पी0 एन0 वी0 पूर्वी गांधी मैदान	—	269693.80
	2119540		
2.	" "	—	1028767.00
	7137		
3.	आई0डी0वी0आई0	—	8,41,764.00
	446967		
4.	को औपरेटिव बैंक	—	7795.00
	810		
			21,48,019.80

31.3.13 को बैंक खाता में कुल जमा राशि का विवरण —

1.	पी0 एन0 वी0 पूर्वी गांधी मैदान	—	2,69,693.80
	9540		
2.	" "	—	13,32,197.10
	7137		
3.	कोपरेटिव बैंक	—	7795.00
	810		
			16,09,685.90

4. कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "घ" पर उल्लिखित।

भाग - 2

(5) योग में कमी दर्शाए जाने के कारण राजस्व रू0 103.10 की क्षति वसूली योग्य :-

- (क) वर्ष 2011-12 में हल्का सं0-3 के लगान वसूली से सम्बन्धित पंजी के अन्तर्गत 3 ए भोलूम-4 में दि0 14.2.12 को वसूल लगान की राशि रू0 288364.37 अंत शेष दर्शाने के पश्चात् लगान रसीद भोलूम सं0-54 एवं 55 के अन्तर्गत रसीद सं0 152646 से 152660 तक में कुल वसूल लगान की राशि रू0 354.45 को जोड़कर रू0 288680.82 ही मात्र कुल योग में दर्शाया गया था जिसे अग्रसारित कर आगे लगान वसूली की राशि में शामिल किया गया था जबकि 14.2.12 का अंतः शेष 288364.37 एवं वसूल लगान रू0 354.45 को जोड़कर रू0 288718.82 होता है इस प्रकार (रू0 288718.82 - 288680.82) रू0 38.00 पंजी 3 ए के योग में कम दर्शाए जाने के कारण राजस्व की क्षति हुयी।
- (ख) हल्का सं0-5 वर्ष 12-13 लगान रसीद भोलूम सं0-96 रसीद सं0 00153576 से 95 तक में वसूल की गई लगान राशि रू0 1188.70 की प्राप्ति प्रविष्टि पंजी 3 ए के भोलूम-4 पृष्ठ सं0-23 में की गई थी। उक्त पृष्ठ के लगान वसूली का प्रारम्भण शेष 194386.75 को जोड़कर वास्तविक योग रू0 1,95,575.45 के स्थान पर रू0 195510.35 ही दर्शाया गया था जिसे पंजी 3 ए के पृष्ठ सं0 24 पर अग्रणित किया गया था।

अतः (रू0 1,95,575.45 - रू0 195510.35) रू0 65.10 की योग में कमी किए जाने के फलस्वरूप राजस्व की क्षति हुयी।

इस प्रकार खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) में राशि क्रमशः रू0 38.00 + रू0 65.10 = रू0 103.10 राजस्व की क्षति हुयी।

सम्बन्धित जवाब देह व्यक्तियों से राशि की वसूली कर इसे कोषागार में जमा शीर्ष में जमा कर वित्त (अं0) विभाग को अवगत कराया जाय।

(6) पंजी 3 ए में लगान वसूली की राशि की प्रविष्टि नहीं किए जाने एवं कम किये जाने के फलस्वरूप राजस्व रू0 118.20 क्षति वसूली योग्य :-

- (क) वर्ष 11-12 में हल्का सं0-2 के अन्तर्गत लगान रसीद भोलूम सं0-8 रसीद सं0 862486 दि0-11.7.11 के द्वारा श्रीमती रेखा देवी पति श्री महेश प्रसाद चौदमारी रोड़, कंकड़वाग, पटना से वसूल लगान रू0 4.90 की प्राप्ति प्रविष्टि पंजी 3 ए में नहीं की गई थी एवं लगान भोलूम सं0 17 लगान रसीद सं0 306074 दि0-24.11.11 के द्वारा श्री राम कृष्ण प्रसाद ओझा पो श्री गोपी कृष्ण ओझा पिता श्री राम प्रसाद ओझा से रू0 9679.60 लगान की वसूली की गई थी जिसके स्थान पर रू0 9619.60 ही पंजी 3 ए में प्राप्ति स्वरूप लाया गया था इस प्रकार रसीद सं0 306074 के अन्तर्गत वसूल राशि (रू0 9679.60 - 9619.60) = रू0 60.00 पंजी 3 ए में कम लाया गया इस तरह रुपया 4.90 + रू0 60.00 = रू0 64.90 लगान राजस्व की कम प्राप्ति पंजी 3 ए में की गई थी।
- (ख) हल्का सं0-5 वर्ष 12-13 में लगान रसीद भोलूम सं0-29 रसीद सं0 0071810 के अन्तर्गत श्री राम चन्द्र गोप से रू0 43.50 की वसूली की गई थी जिसकी प्राप्ति प्रविष्टि पंजी 3 ए में नहीं की गई थी वल्कि पंजी 3 ए में उक्त रसीद सं0 का उल्लेख कर

कालम को काट दिया गया था इस प्रकार श्री गोप से वसूल की गई राशि रू0 43.50 की प्राप्ति नहीं दिखाई गई थी।

- (ग) हल्का सं0-5 वर्ष 12-13 में लगान रसीद भोलूम सं0 67 रसीद सं0-807654 के अन्तर्गत श्रीमती सबिता कुमार सुमन से रू0 2.45 लगान स्वरूप राशि वसूली की गई थी जिसकी प्राप्ति प्रविष्टि पंजी 3 ए में नहीं की गई थी।
- (घ) हल्का सं0-5 वर्ष 12-13 में लगान रसीद भोलूम सं0 106 रसीद क्रमांक 00189376, 00189377 एवं 00189378 के अन्तर्गत क्रमशः श्रीमती अनीता देवी, उदय शंकर शर्मा एवं मुकुल कुमार से रू0 2.45 + रू0 2.45+ रू0 2.45 अर्थात् कुल रू0 7.35 की लगान स्वरूप राशि वसूली की गई थी जिसकी प्राप्ति प्रविष्टि पंजी 3 ए में नहीं की गई थी।

इस प्रकार खण्ड (क) रू0 64.90 खण्ड (ख) रू0 43.50 खण्ड (ग) रू0 2.45 एवं खण्ड (घ) रू0 7.35 कुल रू0 118.20 सम्बन्धित राजस्व कर्मचारियों द्वारा वसूल लगान की प्रविष्टि पंजी 3 ए में नहीं किए जाने के कारण सरकार को प्राप्य राजस्व की क्षति हो गई।

सक्षम पदाधिकारी द्वारा इस परिपेक्ष्य में आवश्यक कार्रवाई कर सम्बन्धित जवाब देह व्यक्ति से राशि की वसूली कर कोषागार में जमा कराकर वित्त (अं0) विभाग को अवगत कराया जाय।

(7) यात्रा भत्ता भुगतान राशि रू0 3600 अभिलेखों के अभाव में आपत्तिअन्तर्गत।

शीर्ष 2029 भू राजस्व के अन्तर्गत विपत्र सं0 31/10-11 के द्वारा यात्रा भत्ता की कोषागार से निकासी की गई राशि रू0 3600.00 का भुगतान श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री शलीम खॉ एवं श्री राजेश कुमार सभी अनुसेवकों को प्रतिव्यक्ति रू0 1200.00 की दर से कुल रू0 3600.00 का भुगतान रोकड़ पुस्त में 11.4.11 को किया गया था।

उपर्युक्त यात्रा भत्ता भुगतान की जाँच हेतु यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति यात्रा भत्ता भुगतान पंजी एवं यात्रा सम्बन्धी आदेश संचिका जाँच हेतु बार-बार मांग करने पर भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त यात्रा भत्ता भुगतान के औचित्य की जाँच नहीं हो पायी।

इस संदर्भ में सक्षम पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कर अपने स्तर से यात्रा भत्ता भुगतान की जाँच करा कर संतुष्ट हो लिया जाय। यदि जाँच क्रम में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकट हो तो तत्सम्बन्धी समुचित कार्रवाई कर वित्त (अं0) विभाग को भी अवगत कराया जाय। तबतक भुगतान की गई राशि रू0 3600.00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(8) अंकेक्षण के दृष्टान्त पर अनियमित वेतन भुगतान की राशि रू0 1,93,875.00 वसूल की गयी पर उत्तरदायी व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित।

श्री इन्द्रदेव पासवान चौकीदार के सेवा पुस्त में अंकित जन्म तिथि 20.3.1950 होने के फलस्वरूप इनकी सेवा निवृत्ति तिथि 31.3.10 को था लेकिन श्री पासवान को जून 2011 तक कार्यरत रखा गया एवं विभिन्न विपत्रों द्वारा कुल वेतन रू0 1,93,875.00 का भुगतान

अनियमित रूप से किया गया। निर्गत आपति के अनुपालन में श्री पासवान को किए गए उपर्युक्त अनियमित भुगतान की वसूली कर निम्नांकित चालान के चालान के द्वारा कोषागार में जमा करा दिया गया।

चा0 सं0	तिथि	राशि
490	21.3.14	41,688.00
06	23.6.15	10000.00
258	3.7.15	1,42,187.00
कुल —		193875.00

उपर्युक्त प्रसंग में प्रशासी विभाग का ध्यान उक्त कर्मों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् अनियमित रूप से कार्यरत रखने एवं वेतन भुगतान करने के विरुद्ध उत्तरदायी व्यक्ति पर आवश्यक कारवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

(9) अस्थायी अग्रिम रू0 2,20,0251.26 समायोजनार्थ लम्बित।

सामान्य रोकड़ पुस्त के दि0 31.3.13 के संवरण शेष में कुल अस्थायी अग्रिम रू0 438314.26 दर्शाया गया था। जिससे सम्बन्धित अस्थायी अग्रिम पंजी अग्रिम भुगतान देश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कराया गया। फलस्वरूप दर्शाए गए अस्थायी अग्रिम की जाँच संभव नहीं हो पायी परन्तु दि0-31.3.13 को संवरण शेष में दर्शाए गए अस्थायी अग्रिम रू0 438314.26 के विरुद्ध रू0 2,18,063.00 का समायोजन (रू0 2709.00 दि0-25.4.13 को एवं रू0 2,15,354.00 दि0 22.5.13) के पश्चात् रू0 220215.26 अंकेक्षण तिथि तक लम्बित रह गया था।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है ताकि आवश्यक कार्रवाई कर अस्थायी अग्रिम पंजी एवं अग्रिम भुगतानादेश की उपलब्धता सुनिश्चित कर अस्थायी अग्रिम की राशि रू0 220251.26 जिन-जिन व्यक्तियों के जिम्मे लम्बित है उसका सामंजन यथा शीघ्र करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के परिणाम से वित्त (अं0) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(10) असमायोजित अभिश्रव रू0 46,17,440.78 समायोजनार्थ लम्बित समायोजन का सुझाव —

इस कार्यालय को विभिन्न शीर्ष में प्राप्त आवंटन से निकासी की गई राशि एवं संवरण शेष में संचित राशि का अनाधिकृत रूप से विचलन कर विभिन्न कार्यों के लिए समय-समय पर अस्थायी अग्रिम प्रदान करने के पश्चात् सम्बन्धित व्यक्तियों से तत्सम्बन्धी अग्रिम समायोजन के विरुद्ध अभिश्रव प्राप्त कर दि0-31.3.13 को सामान्य रोकड़ पुस्त में रू0 46,17,440.78 समायोजित अभिश्रव के रूप में संवरण शेष में दर्शाया गया था। ज्ञातव्य हो कि दि0-1.4.11 के प्रारम्भण शेष में असमायोजित अभिश्रव की राशि रू0 46,34865.78 पायी गयी।

उपर्युक्त असमायोजित अभिश्रव अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करने के लिए लिखित एवं वार-वार मौखिक अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण में इसे जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया। फलस्वरूप दर्शाये गये रू0 4617440.78 के असमायोजित अभिश्रव की

सत्यता की जाँच नहीं हो पायी। इस संदर्भ में इसके समायोजनार्थ कोई भी कार्रवाई तत्परता पूर्वक नहीं की जा रही है।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि असमायोजित अभिश्रवों के समायोजनार्थ जॉचोपरान्त अपेक्षित कार्रवाई कर इसका शत प्रतिशत समायोजन करा लिया जाय एवं वस्तु स्थिति से वित्त (अं०) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(11) संवरण शेष रू० 3698946.84 का अवरुद्धीकरण अनावश्यक एवं आपत्तिजनक, कोषागार में यथाशीघ्र जमा करने का सुझाव –

अंचल कार्यालय पटना सदर के लेखा वर्ष 2011-12 एवं 12-13 के अर्न्तगत दि०-31.3.2013 के संवरण शेष में निम्नलिखित मदों की अव्यवहृत एवं संचित पाया गया।

1.	भू-राजस्व लगान शीर्ष 0029	—	312132.91
2.	पटना मार्केट (राजस्व वसूली)	—	2605791.25
	शीर्ष 0029		
3.	ग्रामीण पुलिस (शीर्ष 2055)	—	4,44,012.80
4.	निर्वाचन (शीर्ष 2015)	—	2,58,086.58
5.	लोक सूचना	—	8647.00
6.	भू-राजस्व शीर्ष 2029	—	<u>70,276.30</u>

36,98,946.84

उपर्युक्त विवरणी में क्रमांक-1 एवं 2 पर अंकित राशि क्रमशः रू० 3,12,132.91 एवं 26,05,791.25 कुल राशि रू० 29,17,924.16 भू-राजस्व एवं दुकान बन्दोवस्ती से प्राप्त आय है जिसे प्राप्ति के पश्चात यथाशीघ्र कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था परन्तु बैंक खातों में जमा रखा गया है जो गम्भीर अनियमितता है, यथाशीघ्र कोषागार में जमा करने का सुझाव दिया जाता है।

क्रमांक 3 से 6 तक में अंकित राशि के व्यय नहीं होने की स्थिति में जो लम्बे समय से अव्यवहृत पड़ी हुई है, जिसे कोषागार में जमा किये जाने का सुझाव दिया जाता है।

जमा के पश्चात अनुपालन से वित्त (अं०) विभाग को अवगत कराया जाए।

भाग – III

(12) अं० के दृष्टान्त पर कुल रू० 3,30,000.00 सम्बन्धित कार्यालय को वापस की गई।

वर्ष 11-12 एवं 12-13 की अवधि में वी० एल० ओ० मानदेय भुगतान हेतु अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर से कुल रू० 1842000.00 प्राप्त हुआ था जिसमें से कुल रू०

15,12000.00 अंकेक्षण तिथि तक भुगतान किया जा सका था। शेष अभुगतित राशि रू0 3,30,000.00 (1842000.00—1512000.00) से सम्बन्धित निर्गत आपत्ति के अनुपालन क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर को चेक सं0 452061 दि0—10.1.14 द्वारा वापस कर दिया गया जिसका सत्यापन कर लिया गया।

- (13) अंचल कार्यालय पटना सदर के वर्ष 2011—12 एवं 12—13 के लगान वसूली से संबंधित रसीद पुर्जों में पायी गई त्रुटियों के सम्बन्ध में।

वर्ष 2011—12 एवं 12—13 के लगान रसीद से पंजी 3 ए के जॉच क्रम में कतिपय हल्का के राजस्व कर्मचारियों द्वारा लगान वसूली से सम्बन्धित रसीदों में सही तरीके से प्रविष्टि नहीं किये जाने के कारण भूल प्रति एवं इसके कार्बन प्रति को रद्द किया पाया गया। परन्तु रद्द की गई रसीद की दोनो प्रति रसीद भोलूम के साथ संलग्न नहीं पाया गया। जिसका विवरण "ड़" पर उल्लिखित है। विवरणी में उल्लिखित रद्द रसीद की दोनो प्रतियाँ उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस रसीदों के अन्तर्गत लगान वसूली की स्थिति ज्ञात नहीं हो पायी। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का समुचित अनुपालन भी नहीं किया गया।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर वस्तु स्थिति की जॉच अपने स्तर से कराकर संतुष्ट हो लिया जाय। यदि जॉच क्रम में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का पता चलता है तो तदनुरूप उचित कार्रवाई कर वित्त (अं0) विभाग को अवगत कराया जाय।

31.3.16

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का हस्ताक्षर

1. मो0 ओबैदुल्लाह जावेद, व0अं0—2

परिशिष्ट – “क”

कड़िका – 1 ट से सम्बन्धित।

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची –

प्रस्तुत अभिलेख –

1. विपत्र पंजी वर्ष 11-12 एवं 12-13
2. सामान्य रोकड़ पुस्त 11-12 एवं 12-13
3. सहायक रोकड़ पुस्त 0029 भू लगान 112 एवं 12-13
4. „ „ 20029 पटना मार्केट राजस्व वसूली 11-12 एवं 12-13
5. „ 2029 भू राजस्व 11-12 एवं 12-13
6. „ 2245 सहाय्य 11-12 एवं 12-13
7. „ 2055 पुलिस 11-12 एवं 12-13
8. „ 2071 पेंशन
9. „ विविध
10. „ 2055 निर्वाचन
11. आकस्मिक व्यय पंजी 11-12 एवं 12-13 एवं अभिश्रव
13. वूथ लेवल पदाधिकारियों का मानदेय भुगतान पंजी 11-12 एवं 12-13
14. नाजिर रसीद काउन्टर फाइल 11-12 एवं 12-13
15. 2053 एवं 2029 का वेतन भुगतान पंजी
16. आवंटन एवं व्यय पंजी 11-12 एवं 12-13
17. सेवा पुस्त आंशिक।
18. हल्का सं० 1 से 8 तक का लगान रसीद काउन्टर फाइल एवं पंजी 3 ए वर्ष 11-12
19. हल्का सं० 5 एवं 6 का लगान रसीद काउन्टर फाइल एवं पंजी 3ए।
हल्का सं० 1 से 4 एवं 8 के पंजी 3ए।

परिशिष्ट – “ख”

कड़िका –3 से सम्बन्धित।

अंचल कार्यालय पटना सदर के वर्ष 2011-12 की आवंटन एवं व्यय विवरणी –

क्र०	शीर्ष	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अवशेष	अभ्युक्ति
1	202900 1010001 भू राजस्व	वेतन जी०या० भत्ता	5157184.00 2075260.00 7232444.00	7212822.00	19622.00	पत्रांक 1914 दि० 30.3.12
		वाहन मद	75000.00	74933.00	67.00	..
		कार्यालय व्यय	203200.00	203199.00	01.00	..
		वर्दी	5900.00	5900	शून्य	..
2	2055001100001 पुलिस	वेतन एवं जी०या०भत्ता	502116.00	412877.00	89239.00	पत्रांक 1941 31.3.12
		..	2321953.00	2309578.00	12375.00	1944 31.3.12
3	2015103001 निर्वाचन	कार्यालय व्यय	75000.00	74893.00	107.00	1961 31.3.12
4	20141140003	व्यय प्रशासन	100000.00	39476.00	60524.00	1914 30.3.12
5.	2245 सहाय्य	जनसंख्या निरूपन	300000.00	300000.00	शून्य	पत्रांक 1762
		वाढ़ चक्रवात खादान्न	16000000.00	1,20,93611. 00	39,06,389. 00	..
		संतप्र परिवार	991000.00	991000.00	शून्य	1762 24.3.12
		अग्निकांड	751000.00	751000.00	..	
		वाढ़ प्रभावित जिला के मोटर वोट संचालन प्रशिक्षण	5,18,350.00	4,65,373.00	52977.00	..
		बाढ़ के कारण निःसहायों एवं विकालांगों को नगद अनुदान	2420000.00	1753000.00	667000.00	1762 24.3.12
		प्राकृतिक आपदा	4000.00	4000.00	शून्य	..
		..	306025.00	41500.00	264525.00	..

वर्ष 2012-13 की आवंटन एवं व्यय विवरणी -

क्र०	शीर्ष	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अवशेष	अभ्युक्ति
1	202900101001 भू राजस्व	वेतन जी०या० भत्ता	5569512.00 <u>3691804.00</u> 9261316.00	9251165.00	10151.00	पत्रांक 1564 30.3.13
	"	कार्यालय व्यय	45000.00	45000.00	शून्य	"
	"	वाहन मद	60000.00	59933.00	67.00	"
	"	वर्दी आर०टी०पी०एस०	3800.00 374073.00	3800.00	शून्य	"
			<u>122500.00</u> 4,96,573.00	372851.00	123722.00	<u>996</u> 25.2.13
2	2015 निर्वाचन	पंचायत चुनाव निर्वाचन	90000.00 25000.00	49910.00 25000.00	40090.00 शून्य	<u>1565</u> 30.3.13
3	2245 सहाय्य	संतप्त परिवार	7,09000.00	7,09,000.00	शून्य	<u>1524</u> 20.3.13
	"	अग्नि	6,74,500.00	671300.00	3200.00	"
	"	खादान	917000.00	364500.00	552500.00	"
	"	नगद अनुदान	500000.00	268500.00	231500.00	"
	"	वस्त्रादि	653500.00	566800.00	86700.00	"
	"	प्रशिक्षण	38250.00	30600.00	7650.00	"
	"	जनसंख्या	200000.00	67921.00	132079.00	"
	2055 पुलिस	वेतन म० भत्ता	39,60,000.00	3357414.00	602586.00	<u>1563</u> 30.3.13

परिशिष्ट – “ग”

कंडिका – 3 से सम्बन्धित।

अंचल कार्यालय पटना सदर के वर्ष –2011–12 के मांग एवं संग्रहण की विवरणी –

क्र०	मद	मांग			संग्रहण			अवशेष		
		बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल
1	लगान	9,23,514.31	204722.21	1128236.52	915449.08	204722.21	1120171.29	8065.23	—	8065.23
2	सेस	231394.86	51180.54	282575.40	229374.87	51180.54	280555.41	2019.99	—	2019.99
3	शिक्षा सेस	461625.59	102361.08	563986.67	457593.92	102361.08	559955.00	4031.67	—	4031.67
4	स्वास्थ्य सेस	461625.59	102361.08	563986.67	457593.92	102361.08	559955.00	4031.67	—	4031.67
5.	कृषी सेस	191793.85	40944.59	232738.44	190130.10	40944.59	231074.69	1663.75	—	1663.75
	योग —	2269954.20	501569.50	2771523.70	2250141.89	501569.50	2751711.39	19812.31	—	19812.31 99.28%
6.	सैरात	—	37000.00	37000.00	—	37000.00	37000.00	—	—	— 100%
	कुल योग—	2269954.20	538569.50	2808523.70	2250141.89	538569.50	2788711.39	19812.31	—	19812.31 99.29%

परिशिष्ट - "ग"

कंडिका - 3 से सम्बन्धित।

अंचल कार्यालय पटना सदर के वर्ष -2012-13 के मांग एवं संग्रहण की विवरणी -

[illegible]

परिशिष्ट - "घ"

कंडिका - 4 से सम्बन्धित।

अंचल कार्यालय पटना सदर के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची वर्ष 2000-11 एवं 2011-12

क्र०	पदनाम	स्वी० वल	कार्यरत बल	रिक्त वल	अभ्यक्ति
1	अंचल अधिकारी	01	01	-	
2	अंचल निरीक्षक	01	01	-	
3	अंचल अमीन	01	01	-	
4	प्रधान लिपिक	01	-	01	
5	लिपिक	06	06	-	
6	राजस्व कर्मचारी	10	08	02	
7	अनुसेवी	05	05	-	
8	जंजीर वाहक	01	01	-	
9	चौकीदार	24	14	10	

परिशिष्ट – ड०

कंडिका – 13 से सम्बन्धित।

अंचल कार्यालय पटना सदर के वर्ष 2011-12 एवं 12-13 के लगान वसूली से सम्बन्धित रसीद पुर्जों में पायी गई त्रुटियों की विवरणी।

हल्का सं०	राजस्व कर्मचारी का नाम	वर्ष	लगान रसीद मालूम सं०	लगान रसीद सं०	वसूली गई राशि	अभ्युक्ति
5	श्री अरविन्द कुमार	11-12	28	150010	—	रद्द किए गए लगान रसीद की मूल प्रति के साथ कार्वन प्रति संलग्न नहीं था।
			23	150210	—	तदैव
2.	„ जनेश्वर पाण्डे	„	3	152106	26.25	तदैव
1	„ विजय शर्मा	„	23	868967	—	लगान रसीद भोलूम सं० 23 में मूल प्रति एवं कार्वन प्रति संलग्न नहीं था। पंजी 3ए में लगान रसीद सं० का उल्लेख कर बिना किसी विवरण रद्द लिखा पाया गया।
5.	„ अरविन्द कुमार	12-13	92	00153211	—	लगान रसीद के मूल प्रति (सादा) को रद्द किया गया या एवं पंजी 3ए में भी रसीद सं० का उल्लेख कर बिना किसी विवरण के रद्द लिखा पाया गया जिसका दूसरी प्रति मूल रसीद प्रति के साथ संलग्न नहीं था।
			92	00153213	41.65	लगान रसीद के कार्वन प्रति पर श्रीमति गिरता देवी से रू० 41.65 वसूल दिखा कर पंजी 3ए में प्रविष्टि की गई थी। लगान रसीद के इस क्रमांक का सादा प्रति कार्वन प्रति के नीचे संलग्न या रद्द किया गया था।